**मध्यप्रदेश शासन**
**परिवहन विभाग**
**वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल**

क्रमांक एफ 8-4/2011/आठ — भोपाल, दिनांक ०५-01-2018

प्रति,

1) समस्त जिला कलेक्टर (म.प्र.)
2) समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी (म.प्र.)
3) समस्त लोक सेवा केन्द्र संचालक (म.प्र.)

**विषय: "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन विभाग की सेवाएं प्रदान करने विषयक।**

1. सेवाओं की सूची :-

| क्र. | सेवा | सेवा का उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1) | वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना। | सेवा का उद्देश्य वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र के खो जाने, विनिष्ट अथवा विरूपित हो जाने की दशा में परिवहन यानों के वाहन स्वामी को संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि सरलता से प्राप्त हो सकें। आवेदक को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। |
| 2) | डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड (निजी वाहनों के लिए)। | वाहन का डुप्लीकेट पंजीयन कार्ड आसानी से जारी किया जाना। |
| 3) | स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में (निजी वाहनों के लिए)।। | अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना। |
| 4) | केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 59 के अंतर्गत पता परिवर्तन करना। (सेवा से संबंधित वाहन तत्समय पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हो) | समय-सीमा में पते में परिवर्तन करना। |
| 5) | केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 60 के अंतर्गत भाड़ा करार दर्ज करना। | समय-सीमा में भाड़ा करार दर्ज करना। |
| 6) | केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 61 (1) के अंतर्गत भाड़ा करार निरस्त करना। | समय-सीमा में भाड़ा करार निरस्त करना। |

**2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-**

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस।

3. सेवा प्रदायं के लिए आवश्यक दस्तावेज और निराकरण प्रक्रिया :-

| क्र | सेवा | आवश्यक दस्तावेज | आवेदन निराकरण की प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| 1) | वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना। | 1) ऑनलाईन आवेदन MPMVR-31 में मय शुल्क की रसीद।<br>2) वाहन का वैध बीमा प्रमाण-पत्र।<br>3) पुलिस रिपोर्ट/शपथपत्र।<br>4) वैध कर प्रमाण-पत्र।<br>5) वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र। | 1) आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आधार न. और ईमेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किया जायेगा। |
| 2) | डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड (निजी वाहनों के लिए)। | 1) ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप -26 (नियम 53 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने हेतु आवेदन) मय शुल्क के रसीद।<br>2) बीमा की प्रमाणित प्रति।<br>3) अद्यतन मोटरयान कर के संदाय का साक्ष्य<br>4) टूटा-फूटा/ विकृत/गला हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड (यदि हो)<br>5) खोने/गुम होने की दशा में संवंधित थाने में की गई रिपोर्ट जहां खोया/गुमा हो/चोरी हुआ हो।<br>6) स्व-हस्ताक्षरित पता प्रमाण।<br>7) यदि वाहन अवक्रय करार/पट्टा करार/आर्डमान के अधीन धारित है तो वित्तदाता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन दो प्रतियों में होगा।<br>8) वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।<br>9) वाहन स्वामी के हस्ताक्षर मिलान हेतु आवेदनों के साथ वाहन स्वामी के नाम पर जारी चालन अनुज्ञप्ति/पेन कार्ड/पासपोर्ट/किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत होने पर उस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र (कोई एक) की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। | 2) आवेदक, अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करेगा।<br>3) लोक सेवा केन्द्र पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत पदाभिहित अधिकारी आवेदक का आवेदन एवं दस्तावेजों की पूर्ति की जांच करेंगे।<br>4) जाँच में उचित दस्तावेज पाए जाने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा परिवहन पोर्टल में लोकसेवा लॉग-इन के माध्यम से आवेदन भरा जायेगा। |
| 3) | स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में (निजी वाहनों के लिए)। | 1) ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप-28 तीन प्रतियों में मय शुल्क रसीद।<br>2) फार्म 28 पर वाहन का चैसिस क्रमांक पैसिंल से उत्कीर्ण कर।<br>3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।<br>4) बीमा की प्रमाणित प्रति।<br>5) अद्यतन मोटरयान कर के संदाय का साक्ष्य।<br>6) यदि किसी कतिपय कालावधि के लिए कोई कर संदेय नहीं है तो कर संग्रहण प्राधिकारी से इस | 5) समस्त जानकारियां दर्ज करके सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट लेकर रनर के माध्यम से आर टी ओ कार्यालय भेजेंगे।<br>6) संवंधित आरटीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त कालावधि के लिए यान से कोई कर शेष नहीं है।<br>7) संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रिपोर्ट।<br>8) National Crime Records Bureau की रिपोर्ट।<br>9) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।<br>10) वाहन स्वामी के हस्ताक्षर मिलान हेतु आवेदनों के साथ वाहन स्वामी के नाम पर जारी चालन अनुज्ञप्ति/पेन कार्ड/पासपोर्ट/किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत होने पर उस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र(कोई एक) की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। | वांछित सेवा दस्तावेज उसी कार्यदिवस में पदाभिहित अधिकारी को प्राप्त हों ताकि आवेदक को सेवा प्रदान की जा सके।<br><br>7) सेवा प्रदाय के बाद पदाभिहित अधिकारी और आरटीओ इस सेवा को पोर्टल में भी प्रदायित श्रेणी में अपडेट कर क्लोज करेंगे। |
| 4) | पते में परिवर्तन करना।<br><br>(सेवा से संबंधित वाहन तत्समय पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हो) | 1) ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप-33 मय शुल्क के रसीद।<br>2) स्व-हस्ताक्षरित पते का प्रमाण।<br>3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।<br>4) बीमा की प्रमाणित प्रति।<br>5) अद्यतन मोटरयान कर के संदाय का साक्ष्य।<br>6) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।<br>7) NCRB की रिपोर्ट।<br>8) यदि वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत है तो<br>- फिटनेस प्रमाण-पत्र।<br>- अनुज्ञा पत्र (यदि वाहन अनुज्ञा पत्र की श्रेणी में हो तो)। | |
| 5) | भाड़ा करार दर्ज करना। | 1) आवेदन का प्रारूप-34 दो प्रतियों में मय शुल्क के रसीद।<br>2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।<br>3) बीमा की प्रमाणित प्रति।<br>4) अद्यतन मोटरयान कर के संदाय का साक्ष्य।<br>5) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।<br>6) यदि वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत है तो<br>- फिटनेस प्रमाण-पत्र<br>- अनुज्ञा पत्र (यदि वाहन अनुज्ञा पत्र की श्रेणी में हो तो) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 7) वाहन स्वामी के हस्ताक्षर मिलान हेतु आवेदनों के साथ वाहन स्वामी के नाम पर जारी चालन अनुज्ञप्ति/पेन कार्ड/पासपोर्ट/किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत होने पर उस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र (कोई एक) की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। | |
| 7) | भाड़ा करार निरस्त करना । | 1) आवेदन का प्रारूप-35 दो प्रतियों में मय शुल्क के रसीद।<br>2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।<br>3) बीमा की प्रमाणित प्रति ।<br>4) अद्यतन मोटरयान कर के संदाय का साक्ष्य ।<br>5) वित्तपोषक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।<br>6) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र।<br>7) यदि वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत है तो<br>- फिटनेस प्रमाण-पत्र<br>- अनुज्ञा पत्र (यदि वाहन अनुज्ञा पत्र की श्रेणी में हो तो)<br>8) वाहन स्वामी के हस्ताक्षर मिलान हेतु आवेदनों के साथ वाहन स्वामी के नाम पर जारी चालन अनुज्ञप्ति/पेन कार्ड/पासपोर्ट/किसी शासकीय कार्यालय में कार्यरत होने पर उस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र (कोई एक) की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। | |

**4. आवेदन करने का स्थान :-** लोक सेवा केंद्र (जिला मुख्यालय) ।

5. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण दिया जाये जिसे विभाग आवश्यक समझे :-

1) नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला मुख्यालय के लोक सेवा केन्द्रों पर ही आवेदन देना होगा।
2) नागरिक संबंधित सेवा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को स्व-प्रमाणित करके ही प्रस्तुत करें।
3) आरटीओ कार्यालय जिला मुख्यालय पर ही होने के कारण उसी कार्यदिवस में सेवा देना संभव हो सकेगा।
4) नागरिकों को उक्त सभी सेवाएं प्राप्त रनर के माध्यम से प्रदाय की जावेगीं।
5) एक दिवस समाधान के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर दोपहर 1.00 बजे तक ही स्वीकृत किए जायेगें।
6) निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन इससे बाहर होगें और सेवा अगले कार्य दिवस में दी जायेगी।

6. अपीलः-

समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी आवेदक, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अपील कर सकेगा।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 8-4/2011/आठ

भोपाल, दिनांक 05-01-2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय,भोपाल।
4. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
6. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, म.प्र.।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग